BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही **दिनांक-04.02.2025**

◆श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर/पेशेवर अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही

◆गैंगस्टर एक्ट में वांछित/गौ-तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे

◆थाना औराई पुलिस टीम को मिली कामयाबी

◆पूर्व में गिरोह के गौ तस्करों को स्कॉर्पियो वाहन में क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाये जा रहे 03 राशि गाय के साथ किया गया था गिरफ्तार

कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक-04.02.2025 को थाना औराई पुलिस टीम द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गौ-तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-287/2024 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त/गौ तस्करी में लिप्त गिरोह के सदस्य कमलेश कुमार बिन्द पुत्र चन्द्रिका बिन्द निवासी सिसौढ़ा थाना रामगढ़ जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम नटवां भारत पेट्रोल पम्प के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा गैंगस्टर अभियुक्त गौ तस्करी में लिप्त गिरोह का सदस्य हैं। पूर्व में जनपदीय पुलिस द्वारा गिरोह के गौ तस्करों को स्कॉर्पियो वाहन में क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाये जा रहे 03 राशि गाय के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तारशुदा गैंगस्टर अभियुक्त का नाम व पता-

कमलेश कुमार बिन्द पुत्र चन्द्रिका बिन्द निवासी सिसौढ़ा थाना रामगढ़ जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक औराई, अंजनी कुमार राय, हे0का0 रामबली यादव, हे0का0 एकलाख खॉं व आरक्षी कैलाश प्रजापति थाना औराई जनपद भदोही